न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः जीसीएम्एस नं. 2021/145

1. मंदिर श्री गोपीनाथ जी महाराज निजी सम्पत्ति राव राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. राव धीरसिंह, राजपूत जाति राजपूत ठिकाना शाहपुरा हाल व्यवस्थापक पुजारी श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री माधोलाल जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
2. बद्रीनारायण पुत्र भरतलाल,
3. साधुराम पुत्र रामदेव,
4. पप्पूराम पुत्र मालीराम,
5. सीताराम पुत्र गणेश,
6. रामस्वरूप पुत्र भागीरथ, समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम ढाणी चौलाई वार्ड नम्बर 4 शाहपुरा जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
2. तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।
3 रामकरण गुर्जर पुत्र श्री रामचन्द्र गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी वार्ड नम्बर 2 ढाणी चेचीयों वाली, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 04.10.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण अपीलान्ट्स विवादित कृषिभूमि खसरा नम्बरान 1388, 1389, 1390, 1397 स्थित ग्राम शाहपुरा जिला जयपुर का खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला जयपुर ने अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एकपक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार विहिन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी कतई ध्यान नही दिया कि नया रास्ता दर्ज करने का धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहसीलदार को एवं धारा 251(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उपखण्ड अधिकारी को अधिकार केवल सभी सहखातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने पर ही

संभागीय आयुक्त

P.T.O.

अधिकार प्राप्त है अन्यथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आपीलाधीन आदेश सरासर कानून के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 132, 132ए में उपखण्ड अधिकारी किसी भी काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की भूमि में मौके पर एवं राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने का कतई कोई अधिकार प्राप्त नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नाजायज व गैर कानूनी रूप से अपीलान्ट्स की संयुक्त खातेदार काश्तकार की भूमि खसरा नम्बरान 1388 से 1390 व 1396 1397 स्थिति ग्राम शाहपुरा जिला जयपुर में से रास्ते के लिए भूमि बिना साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर अपीलान्ट्स खातेदारान की खातेदारी में से हटाते हुये गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अमल दरामद करने का आदेश नाजायज व गैर कूननी रूप से प्रदान किया है जो ख़िलाफ कानून व विरूद्ध पत्रावली होने के वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 21.06.2021 को जब मौके पर विपक्षीगण ने आकर अपीलान्ट को यह कहा कि हमने खसरा नम्बरान 1388 से 1390, 1396 व 1397 स्थिति ग्राम शाहपुरा जिला जयपुर व अन्य नम्बरान में से रास्ता राजस्व रिकार्ड में दिनांक 07.10.2020 को ही दर्ज करा लिया है तथा अब हम तुम्हारी फसल उथल देंगे तथा नया रास्ता कायम करा लेंगे जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 22.06.2021 को वकील से सम्पर्क कर उक्त आदेश की जानकारी हेतु उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के न्यायालय में कार्यवाही की तब पता चला जिस पर अपीलान्ट ने वही से दिनांक 22.06.2021 को उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय दिनांक 07.10.2020 की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल उसी दिन दिनांक 22.06.2021 को मिली। इस प्रकार अपील पेश करने मे हुआ विलम्ब जानबुझकर लापरवाहीवश नही बल्कि सद्भावनावश एकपक्षीय आदेश होने से हुआ है जो न्यायहित मे क्षमा फरमाया जावें एवं नकल प्राप्ति की तिथि से अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुणों पर निर्णित फरमाई जावें तथा अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2020 को निरस्त फरमाते हुए प्रकरण पुनः दोनों पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये रिकार्ड एवं मौके की सही वस्तुस्थिति का अध्ययन व अवलोकन करते हुऐ न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार निर्णित किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर को प्रतिप्रेषित फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि उक्त भूमि विवादग्रस्त में से पूर्व मे प्रचलित रास्ता रहा है जिसको उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.10.2020 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित कर दिया गया उक्त रास्ता शाहपुरा चौलाई सड़क से भैरू बाबा की ढाणी तक जाता है, उक्त रास्ते का सभी खातेदारान एवं उक्त भैरू बाबा की ढाणी के लगभग 40–50 परिवार उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा रेस्पोडेन्ट एवं उसके परिवारजन व अन्य

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सहखातेदार की भूमि खसरा नम्बर 1409, 1412, 1413, 1415, 1416, 1420, 1421, 1423 ग्राम शाहपुरा ए में स्थित है, रेस्पोडेन्ट व उसके सहखातेदार एवं परिवारजन खसरा नम्बर 1388, 1390, 1396, 1397 में स्थित रास्ते से ही अपनी भूमि पर आते–जाते है तथा अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई तथा उक्त विलम्ब का कोई सन्तोषजनक कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेको ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त भूमि विवरदग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1388, 1389, 1390, 1396 एवं 1397 माफी मंदिर श्री गोपीनाथ जी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायलाय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार आदेव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर